

बिहार सरकार
उद्योग विभाग (खा0प्र0)

सं0सं0- डी0एफ0पी0/एफ01-08/2014

पत्रांक :-

प्रेषक,

पटना,

दिनांक :-

निदेशक

खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0)
बिहार, पटना।

विषय :- मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना अन्तर्गत संभाव्यता प्रतिवेदन/सर्वेक्षण/परियोजना/अध्ययन मोबिलाईजेशन, सफलता एवं अनुश्रवण शुल्क के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 अन्तर्गत रु0 75.00 लाख (पचहत्तर लाख) मात्र की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश :- स्वीकृत।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना अन्तर्गत संभाव्यता प्रतिवेदन/सर्वेक्षण/परियोजना/अध्ययन मोबिलाईजेशन, सफलता एवं अनुश्रवण शुल्क के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 अन्तर्गत रु0 75.00 लाख (पचहत्तर लाख) मात्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- उक्त राशि का व्यय वहन "राज्यादेश संख्या-239, दिनांक 08.03.2019 एवं आवंटनादेश संख्या-5/DI-B(Allotment)-35/2018, Order No.-124आ0 Dated-12.03.2019 के आलोक में मुख्य शीर्ष-2852 उद्योग, उप मुख्यशीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग संख्या-23 उप शीर्ष-0104-प्रोजेक्ट एवं फिजीविलिटी रिपोर्ट एवं परामर्शी कार्य परियोजना की तैयारी एवं परामर्शी कार्य विपत्र कोड-23-2852807890104 विषय शीर्ष-0104.28.03 कन्सल्टेन्सी मद से विकलित होगा।

3- वित्त विभागीय पत्रांक-2561 दिनांक 17.04.98 की कंडिका-2 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा एवं राशि की निकासी वित्त विभाग पत्रांक-8244 दिनांक 02.08.2010 के दिशा-निर्देशों के अनुरूप की जायेगी।

4- इस राशि के निकासी प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना होंगे जो सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से राशि की निकासी कर उद्योग मित्र के पी0एल0 खाता संख्या-277 में उपलब्ध करायेंगे।

5- इस राशि का ट्रांसफरी बिल कोड-..... है।

6- इस योजना के मुख्य नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना होंगे जो इस योजना का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करेंगे।

7- इस राशि की निकासी नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से होगी।

8- इस राशि की निकासी बी0टी0सी0 फार्म-46 पर की जायेगी।

ह0/-

निदेशक (खा0प्र0)

उद्योग विभाग, बिहार पटना।

ज्ञापांक :-

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

निदेशक (खा0प्र0)

उद्योग विभाग, बिहार पटना।

ज्ञापांक :-

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार पटना/लेखा शाखा, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

निदेशक (खा0प्र0)

उद्योग विभाग, बिहार पटना।

ज्ञापांक :-

251

पटना, दिनांक :-

13/03/19

प्रतिलिपि :- उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/माननीय उद्योग मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव/श्री सुरेश कुमार, उप उद्योग निदेशक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (आयडा), उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना/आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक (खा0प्र0)

उद्योग विभाग, बिहार पटना।

3/3/19